65

(171)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 502] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2014/अश्विन 4, 1936
No. 502] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2014/ASVINA 4, 1936

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2014

सा.का.नि. 693(अ).—केंद्रीय सरकार, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 12 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय वक्फ परिषद् नियम, 1998 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय वक्फ परिषद् (संशोधन) नियम, 2014 है।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
3. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
4. उक्त नियमों के नियम 4 में,-

   (i) उपनियम (1) में, "उस तारीख से जिसको वह ऐसा पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "परिषद् के गठन की तारीख से तीन वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

   (ii) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: --

   "परंतु यदि किसी सदस्य को परिषद् के गठन की तारीख के पश्चात् नियुक्त किया जाता है, तो वह केवल उस शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए परिषद् का गठन किया गया है।";

   (iii) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

   "(4) कोई सदस्य, यदि वह उस पद पर नहीं रह जाता है, जिसके आधार पर वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट किन्हीं उपखंडों के अधीन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, तो वह सदस्य नहीं रहेगा।"

5. उक्त नियमों के नियम 7 में, उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(6) सचिव, लेखा परीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित लेखाओं के वार्षिक विवरण अपने संप्रेक्षणों और उन पर परिषद् के उत्तरों सहित परिषद् के अनुमोदन और अंगीकरण के लिए परिषद् के समक्ष रखवाएगा ।"

6. उक्त नियमों के नियम 8 में,-

(i) उपनियम (1) में, "दो" और "पांच" शब्दों के स्थान पर, क्रमश: "चार" और "छह" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (4) में, "एक मास" शब्दों के स्थान पर, "15 दिन" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

7. उक्त नियमों के नियम 9 के उपनियम (1) में, "कम से कम दस दिन पहले" शब्दों के स्थान पर, "साधारण अधिवेशन के लिए कम से कम दस दिन पहले और असाधारण अधिवेशन के लिए कम से कम दो दिन पहले" शब्द रखे जाएंगे ।

8. उक्त नियमों के नियम 11 के उपनियम (2) में,-

(क) यात्रा भत्ता शीर्षक के अधीन,-

(i) खंड (क) में,-

(अ) उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(i) एक ही स्तर का वायुयान किराया (इकोनोमी क्लास)";

(आ) उपखंड (ii) का लोप किया जाएगा ।

(ii) खंड (ख) के उपखंड (ii) का लोप किया जाएगा ।

(iii) टिप्पण- । में, "आनुषंगिक व्ययों के अतिरिक्त" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(iv) टिप्पण- ।।। में, "आठ रुपए प्रति किमी" शब्दों के स्थान पर, "स्थानीय यात्रा के लिए पचास किलोमीटर तक के अधिकतम दावे के अध्यधीन बीस रुपए प्रति किलोमीटर या वास्तविक किराया, जो भी कम हो," शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) दैनिक भत्ता शीर्षक के अधीन खंड (क) में, "प्रतिदिन पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "होटल या अतिथि गृह वास-सुविधा के लिए पांच हजार रुपए तक" शब्द रखे जाएंगे ।

9. उक्त नियमों के नियम 15 के उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) इस संबंध में बजट में किए गए उपबंधों और उससे संबंधित भारत सरकार के अनुदेशों के अधीन रहते हुए-

(क) अध्यक्ष, प्रत्येक मामले में प्रतिवर्ष किसी मद पर 50,000/- रुपए (केवल पचास हजार रुपए) तक आवर्ती व्यय और 2,00,000/- रुपए (केवल दो लाख रुपए) तक अनावर्ती व्यय मंजूर कर सकेगा ।

(ख) सचिव, प्रत्येक मामले में प्रतिवर्ष किसी मद पर, 20,000/- रुपए (केवल बीस हजार रुपए) तक आवर्ती व्यय और 40,000/- रुपए (केवल चालीस हजार रुपए) तक अनावर्ती व्यय मंजूर कर सकेगा ।"

10. उक्त नियमों के नियम 17 के उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

" (2) सचिव को, अधिवेशनों के दौरान परिषद् या उसकी समितियों के सदस्यों और आमंत्रित व्यक्तियों के लिए जलपान जैसे चाय-नाश्ता, मध्याह्न भोजन, रात्रि भोजन इत्यादि का इंतजाम करने के लिए 10,000/- रुपए (केवल दस हजार रुपए) तक व्यय मंजूर करने की शक्ति होगी ।"

[फा.सं. 8/2/2014-वक्फ]

राकेश मोहन,संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), संख्यांक सा.का.नि. 593, तारीख 30 सितंबर, 1998 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संख्यांक सा.का.नि. 240(अ), तारीख 22 मार्च, 2012 द्वारा संशोधित किए गए ।

173

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2014

G.S.R. 693(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 12 of the Waqf Act 1995 (43 of 1995), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Wakf Council Rules, 1998, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Central Wakf Council (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Wakf Council Rules, 1998 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 1, in sub-rule (1), for the word "WAKF", the word "WAQF" shall be substituted.

3. Throughout the said rules and in the Appendix attached thereto, for the word "wakf", wherever it occurs, the word "waqf" shall be substituted and such other consequential amendments as the rules of grammer may require shall also be made.

4. In rule 4 of the said rules,-

(i) in sub-rule (1), for the words "five years from the date on which he assumed such office", the words "three years from the date of constitution of the Council" shall be substituted;

(ii) after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that if a member is appointed subsequent to the date of constitution of the Council, he shall hold office only for the remainder of the term, for which the Council has been constituted.";

(iii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4) A Member shall cease to be a Member if he ceases to hold the office on the basis of which he was appointed as Member under any of the sub-clauses specified under clause (b) of sub-section (2) of section 9 of the Act.";

5. In rule 7 of the said rules, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(6) The Secretary shall cause the annual statement of accounts duly audited by the auditor, to be placed before the Council for approval and adoption of the Council, together with his observations and replies of the Council thereto."

6. In rule 8 of the said rules,-

(i) in sub-rule (1), for the words "two" and "five", the words "four" and "six" shall respectively be substituted;

(ii) in sub-rule (4), for the words "one month's", the figures and word "15 days" shall be substituted.

7. In rule 9 of the said rules, in, sub-rule (1), after the words "at least ten days in advance", the following words shall be inserted, namely:—

"for the ordinary meeting and two days in advance for the extraordinary meeting."

8. In rule 11 of the said rules, in sub-rule (2),-

(a) under the heading *Travelling Allowance,*

(i) in clause (a),-

(A) for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(i) One standard air fare (Economy Class)";

(B) sub-clause (ii) shall be omitted;

(ii) in clause (b), sub-clause (ii) shall be omitted.

(iii) in *Note*. - I, the words "in addition to the incidental expenses," occurring at the end, shall be omitted;

(iv) in Note III, for the words "rupees eight per Kilometre", the words "rupees twenty per kilometre or actual fare, whichever is less, subject to maximum claim of up to 50 kilometre for local travel." shall be substituted;

(b) under the heading *Daily Allowance*, in clause (a), for the words "rupees five hundred per day", the words "upto rupees five thousand for hotel or guest house accommodation," shall be substituted.

9. In rule 15 of the said rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Subject to the provisions made in the budget in this regard and the instructions of the Government of India relating thereto,-

(a) The Chairperson may sanction a recurring expenditure up to Rs. 50,000 (Rupees fifty thousand only) and a non-recurring expenditure up to Rs. 2,00,000 (Rupees two lakh only) per annum in each case.

(b) The Secretary may sanction a recurring expenditure up to Rs.20,000 (Rupees twenty thousand only) and a non-recurring expenditure up to Rs. 40,000 (Rupees forty thousand only) per annum in each case."

10. In rule 17 of the said rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The Secretary shall have the power to sanction expenditure up to Rs. 10,000 (Rupees ten thousand only) for arranging refreshment such as high tea, lunch, dinner, etc., for members and invitees of the Council or its Committees during the meetings."

[F. No. 8/2/2014-Wakf]

RAKESH MOHAN, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 593, dated the 30th September, 1998 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 240(E), dated the 22nd March, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.